International Journal of Academic Research and Development
ISSN: 2455-4197, Impact Factor: RJIF 5.22
www.academicsjournal.com
Volume 2; Issue 3; June 2017; Page No. 262-263

संघ व राज्यों में संबंध

Pooja

Assistant Professor, Department of Political Science, South Point Degree College, Sonipat

सारांश

संविधान के द्वारा भारत में संघीय शासन–प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत में इस समय 29 राज्य है, जिनका अपना अस्तित्व है और जिनके संविधान के द्वारा अलग–अलग विधानमंडल, कार्यपालिका तथा न्यायपलिका की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में संघ शब्द के स्थान पर अनुच्छेद एक में 'Union of states' शब्द का प्रयोग किया गया है। संघ व राज्य में शक्तियों का विभाजन परिसंघ का एक आवश्यक लक्षण है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र एवं सर्वोच्च होती है और वह एक दूसरे के अधिकार–क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते। यह परिसंघ का सैद्धान्तिक रूप है। किन्तु व्यवहार में इसका प्रयोग प्रत्येक देश अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप करता है। संविधान में जहां संघ सरकार की शासन–व्यवस्था की है, वहां राज्यों की शासन–व्यवस्था भी निश्चित कर दी है। अमेरिका में राज्यों को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार है, परन्तु भारत में ऐसा नहीं है। राज्यों का अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार तो दूर रहा, उन्हें संविधान के संशोधन में पहल करने का भी अधिकार नहीं है।

मूल शब्दः– स्वायतता, विधायी, प्रसाशनिक व वित्तीय संबंध

प्रस्तावना

भूमिकाः– भारत में स्वतंत्रता उपरांत केंद्र–राज्य का संबंध का मसला अत्यधिक संवेंदनशील मामला रहा है। विषय चाहे अलग भाषाओं की पहचान, असमान वितरण, राज्यों के गठन का हो, या फिर विशेष राज्य का दर्जा देने से जुड़ा हो। ये सब केन्द्र–राज्य संबंधों की सीमा में आते है। इनके अलावा देश में शिक्षा व्यापार, जैसे विषयों पर नीति निर्माण के सवाल उठने पर भी उसके केन्द्र में है केन्द्र और राज्य के बीच में इनको लेकर क्या आपसी समझ है, यही महत्वपूर्ण होता है। भारतीय संविधान में भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है न कि संघवादी राज्य। भारतीय संविधान में विधायी, प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों का सुस्पष्ट बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किया है।

1. **केन्द्र सूचीः–** इसमें वे विषय शामिल है जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है।
2. **राज्य सूचीः–** राज्य सूची में कानून व व्यवस्था, जन–स्वास्थ्य प्रशासन जैसे स्थानीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है। इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है।
3. **समवर्ती सूचीः–** इसमें वे विषय शामिल किये जाते है, जिन पर केन्द्र व राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है।

शोध प्रविधिः– इस शोध पत्र के लिए शोध–सामग्री अधिकांश रूप में दूसरे स्त्रोतों से ग्रहण की गई है। इसमें विश्लेषण व वर्णात्मक दृष्टिकोण के साथ–2 शोधकर्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी स्थान दिया है। शोध सामग्री प्रसिद्ध पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं व समाचार पत्रों से प्राप्त किया है।

भारतीय संविधान के भाग–11 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 256–263 तक प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। सामान्य रूप से संघ तथा राज्य सरकारों के बीच प्रशासनिक शाक्तियों का विभाजन किया गया है, परन्तु प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली है। संविधान के अनुच्छेद 256 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करना होगा, जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन अवश्य हो सके।

संविधान के अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्टपति को यह अधिकार है कि वे किसी राज्य सरकार को उसकी सहमति से किसी विषय से संबंध कार्य सौंप सकते है। ये कार्य शर्त या शर्त रहित हो सकते है। राज्य सरकारों के उच्च पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी कार्य करते है। अखिल भारतीय सेवाएं संघ तथा राज्य सरकारों की नियुक्ति सेवाएं है, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

यदि कोई राज्य सरकार संघ सरकार की ओर से दिए गए आदेशों का पालन न करें तो राष्टपति उस राज्य में संवैधानिक संकट की घोषणा करके उस समय राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 262 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य बहने वाली नदियों के पानी के विभाजन के संबंध में या उसके संबंध में किन्ही अन्य विवादों का निर्णय करने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

अनुच्छेद 263 के अनुसार राज्यों के परस्पर विवादों का निर्णय करने और उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद् की स्थापना कर सकता है। इसी प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति ने 1990 में अंतरराज्यीय परिषद् की स्थापना की थी। संसद विधि द्वारा, ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जो वह अनुच्छेद 301,302,303 व 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित समझे और इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगीं।

अनुच्छेद 245 यह उपबंधित करता है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस सम्पूर्ण राज्य के अलावा उसके

किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधिमान्य नही समझी जायेगी कि वह भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर भी लागू होती है। इसका तात्पर्य है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियॉ न केवल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित व्यक्तियों और संपत्तियों पर लागू होती बल्कि विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाले भारत के नागरिकों और उनकी वहॉ स्थित सम्पत्ति को भी लागू होगी। ष|व भ्व टंकपं टद्यै प्दबवउम ंग ब्वउउपेदमत डनउइंपष के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रभुसत्ता संपन्न विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि को किसी देशीय न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नही दी जा सकती है कि यह भारत राज्यक्षेत्र के बाहर भी लागू होती है। भारतीय संविधान में उक्त अधिनियम की प्रणाली का अनुसरण किया गया है और राज्यों की शक्तियों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया है।

1. संघ सूची
2. राज्य सूची
3. समवर्ती सूची

अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां जो उक्त तीनों सूचीयों में लिखित नही है, को केन्द्रीय सरकार में निहीत करता है। इससे यह स्पष्ट रूप में परिलक्षित होता है कि हमारे संविधान निर्मातागण भारत में एक सवाल केन्द्र की स्थापना करना चाहती है।

अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम–से–कम 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्रीय हित से संबंधित राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद की अधिकृत कर सकती है, परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नही रहता है।

अनुच्छेद 252–253 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के विधान मंड़ल एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद से यह अनुरोध करते है कि राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो संसद उन विषयों पर कानून बना सकती है। संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि या समझौते को लागू करने के उद्धेश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है।

केंद्र व राज्यों के बीच वित्तिय संबंधों की व्याख्या संविधान के भाग–12 के अध्याय 1 में की गई है। वित्तिय क्षेत्र में भी संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तिय साधनों का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान में यह विभाजन 1935 में अधिनियम में किए गए विभाजन पर आधारित है। संघ सरकार को संघ–राज्य सूची के सभी विषयों पर कर लगानें का अधिकार है। राज्य सरकार अपने द्वारा लगाए गए करों को स्वयं इकट्ठा करती है और स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस धन को व्यय करती है।

अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि तथा प्रत्येक राज्य की संचित निधि की स्थापना की गई है। आकस्मिक निधि तथा राज्यों को दिए जाने वाले करों तथा शुल्कों को छोड़कर, भारत सरकार कों प्राप्त सभी राजस्व, उस राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी उधार तथा उधारों से उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशि की एक संचित निधि बनती है।

अनुच्छेद 273, 275 व 282 के अंतर्गत तीन प्रकार से सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। 273 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा असम, बिहार, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल को जूट व जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क पर सहायता अनुदान दिया जा सकता है। 275 के अंतर्गत यह निश्चत हो जाए कि किसी राज्य को अपरिहार्य रूप से आर्थिक सहायता की जरूरत है। 282 के अंतर्गत केन्द्र व राज्य सार्वजनिक उद्धेश्य हेतु सहायता अनुदान जारी कर सकते है।

वित्त आयोग एक सवैधानिक संस्था है और 280 के अनुसार इसका गठन राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस आयोंग में एक अध्यक्ष व चार अन्य सदस्य होते है। यह अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सार्वजनिक कार्यो के बारें में अनुभव हो।

1. संघ व राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगर्मो के वितरण के बारें मे और राज्यों के बीच ऐसें आगर्मो के आबंटन के बारें में।
2. भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में।
3. राज्यों में पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवधर्न के लिए आवश्यक उपायों के बारे में वित्त आयोंग के प्रमुख कर्तव्य है।

भारत में केन्द्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन प्रारंभ से ही विवादपूर्ण रहा है। संविधान सभा में भी अनेक सदस्यों ने यह आपत्ति जताई थी कि शक्ति विभाजन की यह योजना भारत संघ के घटक राज्यों को नगरपालिकाओं का रूप देती है। राज्यों की ओर से स्वायत्तता की मांग उठी। राज्य की स्वायतता की मांग के समर्थक यह मानते है कि संविधान में ऐसे कई प्रावधान है जो राज्यों की स्वायत्तता को सीमित करते है। यहॉ। हम राज्यों की स्वायतता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों जैसे राज्य की स्वायत्तता की मांग के कारण एवं स्वायत्तता के पक्ष व विपक्ष में विभिन्न तर्को का उल्लेख किया गया है।

साधारण शब्दों में स्वायत्तता का अर्थ किसी को भी अपने क्षेत्र मे निर्बाध कार्य करने की स्वतन्त्रता अर्थात आन्तरिक व बाह्य कार्य–क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न होना। राज्यों के मामले स्वायत्तता का अर्थ स्वतन्त्रता नही है, बल्कि इसका अर्थ है कि राज्यों को उनके मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। राज्यों को शक्तियॉ संविधान संविधान द्वारा उपलब्ध कराई गई है और उन्हें उनका प्रयोग करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

उपर्युक्त सभी विवरणों से स्पष्ट होता है कि संघ व राज्य में गहरा संबंध है। परंतु केद्रं सरकार राज्य सरकार से प्रत्येक विषय में उनसें शक्तिशाली है और केद्रं सरकार काफी बार राज्य सरकार के विषयों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती है, जिससे राज्य की स्वायतता कम हो जाती है। परंतु केद्रं व राज्य एक–दूसरे पर निर्भर होकर कार्य करते है। जिससे दोनों सरकारों के बीच आपसी सामंजस्य बना रहता है।

संदर्भ सूची

1. भारतीय राजनीति, प्रकाशक व संपादक ज्योति, 2017 19
2. भारतीय राजनीति, प्रकाशक व संपादक ज्योति, 2017, 33
3. भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, 2016, 619
4. दैनिक जागरण, 19 फरवरी 2017, 1
5. दैनिक जागरण, 19 फरवरी 2017, 6
6. दैनिक भास्कर, 25 जुन 2017 5
7. राजनीति विज्ञान, अहमदाबाद लॉ एजेन्सी, 2015, 435
8. इन्टरनेट
9. भारतीय राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन, प्रकाशक व संपादक ज्योति, 2016, 211
10. अंतराष्ट्रीय राजनीति व संबंध, अहमदाबाद लॉ एजेन्सी, ड़ा0 एस0 आर0 मैनी, 2017, 403